अधिसूचना–प्रारूप (NOTIFICATION-DRAFT)

क्र.	अंग्रेजी	हिन्दी
1	Municipal Corporation Khandwa is notifying the draft of THE WATER METERING AND CONNECTION REGULARISATION RULES-2012. These rules are affected in existing area of Khandwa Municipal Corporation and connecting new areas in future. Any objection or suggestion in respect of the said draft which may be received by the KMC Engineer, Narmada Cell Municipal Corporation Khandwa, Water works Shivaji Chowk Khandwa from any person before the 30 days from the date of publication at office time (excluding holidays).	1. नगर पालिक निगम खण्डवा वॉटर मीटरींग और नल संयोजन नियमितीकरण नियम 2012 (Water Metering and Connection Regularization Rules 2012) का ड्राफ्ट जारी करती है। यह नियम (Rules) नगर पालिक निगम खण्डवा के वर्तमान क्षेत्र एवं भविष्य में शामिल होने वाले नवीन क्षेत्रों में भी प्रभावशाली रहेगा। अधिसूचना प्रारूप जारी करने की दिनांक से 30 दिवस पूर्ण होने तक, अधिसूचना प्रारूप के संदर्भ में किसी की आपत्ति या सुझाव इंजीनियर (खण्डवा नगरपालिक निगम) नर्मदा सेल, जल विभाग शिवाजी चौक कार्यालय, नगर पालिक निगम खण्डवा में कार्यालयीन समय (अवकाश के दिनों छोडकर) लिखित में प्रस्तुत कर सकते है :–
A	'Rule' means the water metering and connection regularization rules-2012	A. "नियम" से तात्पर्य नगर पालिक निगम खण्डवा वॉटर मीटर और नल संयोजन नियमितीकरण नियम 2012 से है।
B	'Commissioner' means commissioner of Municipal Corporation Khandwa.	B. "आयुक्त" से तात्पर्य आयुक्त, नगर पालिक निगम, खण्डवा से है।
C	'Consumer' means any person or institution etc., currently getting the benefit of any water supply from KMC or will get the benefit of any water supply in future in its own name or as Manager etc., from KMC through a concessionaire as the case may be.	C. "उपभोक्ता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिसने अपने नाम से या प्रबंधक के रूप में उसके भवन या भूमि में नल संयोजन प्राप्त किया है या भविष्य में कंसेशनायर द्वारा खण्डवा नगरपालिक निगम से प्राप्त करेगा।
D	'Corporation' means Municipal Corporation Khandwa.	D. "निगम" से तात्पर्य खण्डवा के नगर पालिक निगम से है।

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer

KMC'S Engineer

Commissioner
Municipal Corporation

(2)

E	DOMESTIC CONNECTION: The connection serving the people for the need of only domestic purposes like drinking, cooking, bathing, washing, cleaning and flushing of toilets, household gardening and individual air conditioning is termed as domestic connection.	E. "घरेलू प्रयोजन" से तात्पर्य पीने, खाना पकाने, स्नान, सफाई और शौचालय, घरेलू बागवानी और व्यक्तिगत वातानुकूलन के प्रयोजन के लिये जल के उपभोग से है।
F	INSTITUTIONAL CONNECTION: The connection serving the institutes like school, colleges (govt., semi govt. and private), govt. and semi govt. Offices, govt. Hospitals, charitable trust, public gardens and institutions not run for profit; is termed as institutional connection.	F. "संस्थागत प्रयोजन" से तात्पर्य स्कूलों, कॉलेजों(शासकीय अर्धशासकीय एवं प्रायवेट), शासकीय अर्ध–शासकीय कार्यालय, शासकीय अस्पताल, चेरिटेबल ट्रस्ट, सार्वजनिक उद्यान एवं ''लाभ के लिए नहीं चलने वाले'' संस्थानों के प्रयोजन के लिये जल के उपभोग से है।
G	COMMERCIAL CONNECTION: The connection serving any institute/proprietor/ organization like Hostels, Shops, Theatres, Laundries, Community halls, private hospitals , Hotels etc.being run for profit, termed as commercial connection.	G. "व्यावसायिक प्रयोजन" से तात्पर्य किसी भी संस्थान / मालिक / संगठन द्वारा लाभ के लिये चलाये जा रहे होस्टल, दुकानें, थियेटर्स, लॉड्री, सामुदायिक हॉल, निजी अस्पताल, होटल आदि के प्रयोजन के लिये जल के उपभोग से है।
H	INDUSTRIAL CONNECTION: The connection serving industries like oil mills, dals mills, paper mills, ice factories, service stations, workshops, foundries, packing industries or any other industry which consumes water for producing the final product directly or for the purpose of serving domestic needs of the people working or staying in the industries ; is termed as industrial connection. Industries those are defined by industrial department.	H. "औद्योगिक प्रयोजन" से तात्पर्य तेल मिलों, दाल मिलों, पेपर मिलों, बर्फ कारखानों, सर्विस स्टेशनों, कार्यशालाओं, ढलाई, पैकेजिंग उद्योगो से है जो पानी का उपयोग अंतिम उत्पाद सीधे बनाने में करते हैं, या उद्योग के परिसर में कार्य करने या रहने वाले व्यक्तियों के घरेलु उपयोग आदि के प्रयोजन के लिये जल के उपभोग से है एवं उद्योग विभाग द्वारा परिभाषित उद्योग शामिल होगें।
I	'Concessionaire' means Vishwa Utilities Private Limited Hyderabad.	I. "कंसेशनायर" (Concessionaire) से तात्पर्य विश्वा यूटिलिटिज प्रा. लि. हैदराबाद से है।
J	'COD' means the 'commercial operation date' of the WSS Project after successful trial run.	J. "वाणिज्यिक परिचालन की तारीख" (Commercial operation date) COD से तात्पर्य जल प्रदाय योजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात्, परीक्षण चलाने के सफल समापन की दिनांक से है।
K	'Meter' means device for measuring quantity of water.	K. "मीटर" से तात्पर्य ऐसे उपकरण से है जिसके द्वारा जल की मात्रा मापी जाती है।
L	'Main pipe' means pipe which is connecting to water collecting pipe for water supply purpose.	L. "मुख्यपाइप" (मेन्स) से तात्पर्य जल प्रदाय करने के प्रयोजन के लिये जल संग्राहक को जोड़ने वाले पाइप से है।
M	'Service pipe' means pipe is used for water supply from stop cock up to premises of domestic, institutional,commercial and	M. "सेवापाइप" (सर्विस पाईप) से तात्पर्य अवरोध टोंटी (स्टाप काक) से घरेलू, संस्थागत , व्यावसायिक एवं औद्योगिक के भूमि भवन, उद्यान

Sub Engineer
Municipal Corporation. Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa.

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

	industrial house, garden or industry.	या उद्योग के स्थान तक जल प्रदाय करने के प्रयोजन के लिये पाइप से है।
N	'Connection pipe' means part of pipe which connects ferul to stop cock.	N. "संयोजन पाइप" (कनेक्शन पाईप) से तात्पर्य फेरूल को अवरोध टोंटी (स्टाप काक)से जोड़ने वाले पाइप के भाग से है।
O	'Ferul' means part of connection pipe to connect main pipe or branches to connection pipe.	O. "फेरूल" से तात्पर्य मुख्यपाइप या उनकी शाखाओं को संयोजन पाइप से जोड़ने वाले पाइप के भाग से है।
P	'Stop cock' means a device which is fitted at end of connection pipe to control water supply in premises of consumer.	P. "अवरोध टोंटी" (स्टाप कॉक) पाइप से तात्पर्य संयोजन पाइप के अंत में लगे हुए उपकरण से है जो उपभोक्ता के परिसरों में जल के प्रदाय को विनियमित करता है।
Q	'Communication pipe' it is system of pipe lines or their branches for the supply of water to domestic, institutional,commercial and industrial land, house, garden or industry. Connection pipe and meter are included in this.	Q. "योजना पाइप" (कम्युनिकेशन पाईप) से तात्पर्य पाइपलाइन या उनकी शाखाओं की पद्वति से है जिसके द्वारा मुख्य नल या उसकी शाखाओं से घरेलू, संस्थागत् , व्यावसायिक एवं औद्योगिक के भूमि, भवन उद्यान या औद्योगिक स्थान को जल प्रदाय किया जाता है और उसमें संयोजन पाइप तथा मीटर सम्मिलित है।
R	Those words and sentences which are not defined here but those are included here will have same meaning given in these Rules.	R. उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में परिभाषित न किये गये हों किन्तु इनमें प्रयुक्त किये गये हों, वही अर्थ होंगे जो कि उनके लिये नियम में दिये गये हैं।
1	The KMC is entering into this byelaws in Pursuant to the Section 220(c) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation ACT 1956 to employ the Concessionaire to discharge its duties and obligations and exercise its right and power (for water supply operation and maintenance) under Section 221 to 239 and 241 to 245 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation ACT 1956.	1. नगर पालिक निगम खण्डवा, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम एक्ट 1956 के सेक्शन 220 (सी) एवं सेक्शन 221 से 239 तथा 241 से 245 मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम एक्ट 1956 तहत "विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद" को जल प्रदाय, संचालन एवं संधारण के अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान किया जाने हेतु यह उपविधियॉं जारी करता है।
2	KMC after Notifying the Water Metering and Connections Regularization Rules shall assist concessionaire and their staff to get the existing connections metered and illegal connections regularized and metered.	2. नगर पालिक निगम खण्डवा अधिसूचना जारी दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् मीटर लगाने एवं अवैध नल संयोजनों का नियमितीकरण का कार्य, विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद तथा उनके स्टॉफ द्वारा करने में सहायता करेगा।
3	The water supply and distribution system of KMC shall be taken over by Concessionaire on the intended "Commercial Operation Date" for next 23 years and to charge and collect water charges from consumers on monthly basis. After Expiry of concession period Concessionaire shall transfer facilities in	3. नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा शहर के जल प्रदाय प्रणाली का संधारण एवं संचालन का चार्ज वाणिज्यिक परिचालन की तारीख (COD) से विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद के द्वारा आगामी 23 वर्षों के लिए सौप दिया जावेगा। इसी दिनांक से जलकर की मासिक आधार पर राशि वसूलने का कार्य भी विश्वा यूटिलिटिज

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer

KMC'S Engineer
Municipal Corporation

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa.

	good, running condition without any libilites to KMC.	प्रा.लि. हैदराबाद द्वारा किया जावेगा। कन्सेशन समाप्ति पर कंसेशनायर द्वारा यह व्यवस्था अच्छी, चलायमान तथा बिना किसी भार के नगर पालिक निगम खण्डवा को सौंपी जाना होगी।
4	The Concessionaire shall provide water supply to all the Consumers for duration of 24 hours 7 days (Every Day). It is the responsibility of the Concessionaire to ensure and maintain the distribution system in such a way that, the consumer can draw water with minimum @ 135 LPCD in supply hours.	4. विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद द्वारा 24 X 7 जल प्रदाय किया जावेगा। तथा 12 मीटर हेड तक जल प्रदाय उपलब्ध रहेगा। प्रत्येक उपभोक्ता के लिए न्यूनतम 135 लीटर जल प्रतिदिन उपलब्ध हो सकें इसकी जिम्मेदारी कंसेशनायर द्वारा वितरण व्यवस्था की होगी।
5	All property connections (individual or shared)) must be metered in phased manner by the start of COD. The Concessionaire shall serve monthly bills to consumers covering the consumption of water as recorded through the meter reading @ Water Tariff specified in schedule I, and revised from time to time as per Schedule K. In addition the bills shall also include meter rent as per schedule I and reconnection charges if applicable as specified in schedule I.	5. सभी संपत्तियों (मकानो– वैयक्तिक या भागीदार आदि) के नल कनेक्शनों में मीटर लगाया जावेगा तथा प्रति माह मीटर रीडिंग के अनुसार निर्धारित जलदर (शेड्यूल आई) के आधार पर प्रति माह बिल प्रदाय कर प्रति माह बिल की राशि वसूली जावेगी। दरें समय–समय पर शेड्यूल K के अनुसार पुनः निर्धारित होंगी। इसके अतिरिक्त मीटर का किराया शेड्यूल आई के अनुसार तथा पुनः संशोधन चार्ज भी शेड्यूल आई में उल्लेख अनुसार होगा।
6	In the entire municipal corporation areas, pure and filtered water shall be supplied as per "CPHEEO-Manual on water supply and treatment May 1999".	6. सम्पूर्ण नगर पालिक निगम क्षेत्र में CPHEEO मेन्युअल के अनुसार शुद्ध एवं फिल्टर्ड जल प्रदाय किया जावेगा।
7	The entire distribution system shall be divided into 10 zones. Each zone served preferably by one Elevated Service Reservoir. (ESR) Whole Municipal area is divided into 10 zoneal offices, which is situated near ELSRs and VISHWA company shall estabilish a main office in city. In all zones and main office complaints are received and redressed. Bills of consumers shall be distributed from here and also collected water charges.	7. सम्पूर्ण जल वितरण क्षेत्र को 10 झोनों में बॉटा गया है। प्रत्येक झोन में जल वितरण उसमे स्थित ओव्हर हेड टेंक से होगा। सम्पूर्ण नगर निगम का क्षेत्र 10 झोनल कार्यालयो में विभाजित होगा जिसमे से एक विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद का मुख्य कार्यालय होगा। इन सभी झोनों एवं मुख्य कार्यालय में जलप्रदाय से संबंधित शिकायतें सुनी जावेंगी एवं उनका निराकरण किया जावेगा। यहाँ से बिल वितरित किये जायेंगे तथा जलकर की राषि जमा की जावेगी।
8	Every consumer would need to enter into an agreement with KMC for supply of water to its premises (Consumer Agreement).The Concessionaire shall facilitate the signing of Consumer Agreement. The consumer Agreement shall be as per the form of agreement enclosed in schedule-I (Amended).	8. प्रत्येक उपभोक्ता को अपने परिसर में जलप्रदाय के लिए नगर पालिक निगम से एक अनुबंध करने की आवश्यकता होगी। कन्सेशनायर उपभोक्ता को अनुबंध में हस्ताक्षर करने की सुविधा देगा। उपभोक्ता अनुबंध, फार्म के रूप में शेड्यूल–आई के साथ मुख्य अनुबंध में संलग्न है।
9	KMC shall change all illegal connections in to legal connections as per rules of Municipal Corporation.	9. अवैध कनेक्शनों को नगर पालिक निगम खण्डवा के नियमों के अंतर्गत वैध किया जावेगा।

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer

KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa

10	Concessionaire shall have authority for water supply, collection of water charges, installation charges of meter and disconnection. All above works shall be done under the supervision of KMC.	10. जल प्रदाय, जलकर वसूली, मीटर लगाने, नल विच्छेद आदि के अधिकार "विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद" को प्रदाय किये गये है। नगर पालिक निगम खण्डवा, के सुपरविजन में उपरोक्त कार्य किये जायेंगे।
11	"Vishwas Utilities Pvt. Ltd. Hyderabad" shall have absolute authority to supply water in municipal corporation areas. It is agreed that there shall be no commission of any parallel competing facility whether by way of construction of a new facility or augmentation of capacities of existing facilities.	11. नगर पालिक निगम क्षेत्र मे विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद को जलप्रदाय के पूर्ण अधिकार होगें।उक्त व्यवस्था में अन्य संस्था कन्सेशनर पिरियड तक नये निर्माण या पुरानी का विस्तार के रूप में कोई समानांतर काम्पीटिटिंग व्यवस्था स्थापित नहीं होगी।
12	All the Operation and Maintenance works of water supply shall be done by "Vishwa Utilities. Pvt. Ltd. Hyderabad", under the supervision of KMC. All complaints shall be redressed by "Vishwa Utilities. Pvt. Ltd. Hyderabad".. If Vishwa Utilities. Pvt. Ltd. Hyderabad fails to redressed, it shall be redressed by KMC.	12. "विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद" द्वारा संचालित एवं संधारित सभी प्रक्रिया पर नगर पालिक निगम खण्डवा का सुपरविजन होगा। उत्पन्न सभी समस्याओं का निराकरण "विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद" के द्वारा किया जावेगा। "विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लि. हैदराबाद" के द्वारा निराकरण नहीं होने पर नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा समस्या निराकृत की जावेगी।
13	All conditions of agreement between KMC and Concessionaire shall be applied in these Rules.	13. नगर पालिक निगम खण्डवा एवं कंसेशनर एजेन्सी के मध्य हुए अनुबंध की सभी शर्ते इस नियम के अंतर्गत लागू रहेगी।
14	There is no provision of "Non Revenue Based" water supply.	14. इस योजना में नान–रेवेन्यु आधारित जल प्रदाय की व्यवस्था नहीं है।
15	Regularisation all legal and illegal connections including metering shall be done during Transition Period (Transition Period – from rules Notification Date to the COD).The facilities and systems would be deemed to have stabilized within a period of 12 months from the COD, its called Stabilization period.	15. अधिसूचना से COD तक का समय Transition Period कहलाएगा। इस समय में सभी वैध नल कनेक्शन ों की मीटरिंग एवं अवैध कनेक्शनों को वैध करने एवं मीटरिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। इस योजना में COD के पश्चात 12 माह का Stabilization Period रहेगा। इस अवधि में "विश्वा यूटिलिटिज प्रा. लि. हैदराबाद" द्वारा संचालन की सभी सुविधा स्थापित की गई समझी जावेगी।
16	Prepare and announce an Amnesty plan for regularizing illegal water connections with penalties and installing water meters within a period of 6 (six) months from Notification, its called Amnesty Period.	16. नोटिफिकेशन दिनांक से 6 माह के लिये अवैध कनेक्शनों को पेनल्टी लगाकर नियमित करना तथा मीटर स्थापित करने के लिये Amnesty Plan तैयार कर घोषित किया जावेगा। यह समय काल Amnesty Period कहलायेगा।
	Schedule I (AMENDED)-Levies of Charges and water tariff	**शेड्यूल I (संशोधित)–लेविस ऑफ चार्ज और जलदर**
B	APPLICATION FOR WATER SUPPLY CONNECTION BY CONSUMERS-	B. उपभोक्ताओं द्वारा जल आपूर्ति कनेक्शन के लिए आवेदन –

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer

KMC's Engineer
Municipal Corporation

Commissioner
Municipal Corporation

(i)	Any individual agency or organization intending to have a new Connection/New temporary connection of water supply or transfer any existing connection or alternation in the existing connection shall apply by making an application to the KMC.	(i) कोई भी व्यक्तिगत एजेन्सी या संस्था जल प्रदाय के लिये नये स्थाई कनेक्शन / नये अस्थाई कनेक्शन अथवा वर्तमान कनेक्शन के स्थानांतरण अथवा वर्तमान कनेक्श्न में परिवर्तन करने के लिए नगर पालिक निगम में आवेदन कर सकेगा।
(ii)	The application shall be accompanied with certified extracts from the city survey register, khasra or certified extract of Government or Assistant Registrar or such other, documents to prove the title to the property.	(ii) आवेदन पत्र भूमि या भवन स्वामी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ही दिया जायेगा और उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। भूमि या भवन के स्वामी को, ऐसे दस्तावेजों या तत्सम विलेख यथास्थिति, भूमि या भवन के स्वामित्व के समर्थन में सर्वे रजिस्टर खसरा या शासकीय अथवा सहायक रजिस्ट्रार आदि को ऐसे ही प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
(iii)	If the applicant is Tenant, KMC shall grant a new connection to Tenant after submission of NOC obtained from the owner of the premises.	(iii) यदि उपभोक्ता, भाड़ेदार हो तो संयोजन (कनेक्शन) के लिये भूमि या भवन स्वामी की लिखित सहमति (अनापत्ति प्रमाणपत्र) पेश करना होगी।
(iv)	In the case of bulk supply of water to any consumer, the supply shall be regulated by an agreement with KMC subject to the provisions of the Act, Byelaws and the rules made there under.	(iv) पानी की थोक आपूर्ति के मामले में आपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों, उपनियम और नियमों के तहत निगम के साथ अनुबंध के पश्चात् की जावेगी।
(v)	When the existing connection to the Owner is disconnected, for any reason, the Tenant can apply for a new connection with or without the consent of the owner, provided that he submits the rent receipt of the last month or a certificate indicating that the payment of the amount of rent has been made to the court.	(v) उपभोक्ता मकानमालिक के जल संयोजन विच्छेद होने की स्थिति में पुनः संयोजन के लिये पिछले माह की किराये की भुगतान की रसीद अथवा ऐसा पत्र जिसमें दर्शाया गया हो कि किराए की राशि का भुगतान न्यायालय को कर दिया गया है, के साथ किरायेदार आवेदन कर सकेंगे।
(vi)	If any consumer intends to close the water connections, he shall inform in writing to authority concerned, at least 15 days in advance, from the date on which he intends to close the connection. He shall pay Disconnection Charges and all amounts due in advance along with bill for the current month.	(vi) उपभोक्ता को जल संयोजन विच्छेद के लिये, चाही गई दिनांक से 15 दिवस अग्रिम में लिखित में आवेदन करना होगा। साथ ही उनके द्वारा संयोजन विच्छेदन तथा अन्य बकाया राशि चालू माह के देयक के साथ अग्रिम में जमा करानी होगी।
(vii)	Every consumer would need to enter into an agreement with KMC for supply of water to its premises (Consumer Agreement) The Concessionaire shall facilitate the signing of Consumer Agreement. The consumer Agreement shall be as per the form of agreement enclosed in this agreement.	(vii) प्रत्येक उपभोक्ता को नगर पालिक निगम में साथ स्वयं के परिसर में जल प्रदाय के लिए अनुबंध की आवश्यकता होगी। कन्सेशनर अनुबंध में हस्ताक्षर के समय सुविधा प्रदान करेगा। उपभोक्ता अनुबंध फार्म के अनुबंध के साथ संलग्न प्रपत्र में अनुबंध करना होगा।

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer
Municipal Corporation, Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa.

1. i) alidity of Sanction for new connection–

After obtaining the sanction for a new connection, the consumer shall obtain a connection to the main within a period of three month from the date of sanction. The sanction shall be treated as cancelled and become invalid if the new connection is not connected to the main within the period of three month in such case, the consumer shall have to submit a fresh form of connection

नये कनेक्श्न की स्वीकृति की वैधता

i) नये कनेक्शन की स्वीकृति लेने के पश्चात उपभोक्ता स्वीकृति दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर मुख्य कनेक्शन प्राप्त कर सकेगा। यदि तीन माह की अवधि में मेन पाईप के साथ नया कनेक्शन कनेक्ट नहीं किया गया तो इस स्वीकृति को निरस्त माना जाकर यह अवैध हो जावेगा। ऐसे मामले में उपभोक्ता को कनेक्शन का नया फार्म प्रस्तुत करना होगा।

ii) If any connection is disconnected due to any reasons, reconnection shall be done only after payment of reconnection charges as fixed by KMC in table below and all the arrears and dues outstanding against the connection are paid.

NO.	CONNECTION SIZE IN MM	DISCONNECTION FEES (Rs.)	RE-CONNECTION FEES (Rs.)
1	15	100	200
2	20	150	300
3	25	200	400
4	40	250	500
5	50	300	600

Note:- The above mentioned fees in case of BPL Consumers shall be half of the amount specified above.

ii) यदि किन्हीं कारणों से संयोजन विच्छेद हो जाता है तो निम्नांकित तालिका में दर्शाये गये निर्धारित पुनः संयोजन शुल्क भुगतान करने के पश्चात् ही नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा पुनः संयोजन हो सकेगा, एवं सदर कनेक्शन बाबद् समस्त बकाया धनराशि का भुगतान करना होगा।

क्र.	कनेक्शन साईज एम.एम. में.	डिस्कनेक्शन फीस (रू.)	रिकनेक्शन फीस (रू.)
1.	15	100	200
2.	20	150	300
3.	25	200	400
4.	40	250	500
5.	50	300	600

नोट:– उपरोक्त उल्लेखित फीस बी.पी.एल. परिवारों के लिए आधी हो जावेगी।

iii) **1. Reconnection Period**

If due to any reason any connection is disconnected and the Consumer of that connection doesn't applly to concessionaire for reconnection within a period of one year from the date of disconnection, the connection will stand cancelled and security pursuant to connection shall be forfeited by KMC.

iii) **पुनः संयोजन अवधि**

यदि किन्हीं कारणों से संयोजन विच्छेद हो जाता है और संबंधित उपभोक्ता द्वारा संयोजन विच्छेद की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में पुनः संयोजन के लिये आवेदन नहीं करता है तो वह संयोजन निरस्त हो जावेगा ओर नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा उस कनेक्शन की सिक्यूरिटी राशि राजसात कर ली जावेगी।

Service connections and Metering charge

1 Initial cost of meter and Service connection charge shall be borne by the consumer.

सर्विस कनेक्शन एवं मीटरिंग चार्ज

1 वाटर मीटर की प्रारंभिक लागत एवं सर्विस कनेक्शन चार्ज, नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार, उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer KMC'S Engineer Municipal C...

Commissioner Municipal Corporation

	English		हिन्दी
2	These rates shall be revised by "Price Review Committee" after every three years.	2	यह दर प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् 'प्राईस रिव्हयू कमेटी' द्वारा पुनरीक्षित की जावेगी।

Diameter of connection	15 mm	20mm	25mm	40mm	50mm
Security deposit	900	1500	2500	5000	10000
Service connection charges(ferule. saddle piece & labour) Reimbursable to Concessionaire (Rs)	300	400	500	600	700
Meter cost(Meter and Labour) Reimbursable to Concessionaire (Rs)	1200	1500	1900	4200	7000

Note- The service connection charges for BPL Consumers shall be half of the amount specified above.

क्रं.	डायामीटर ऑफ कनेक्शन	15 मि.मी.	20 मि.मी.	25 मि.मी.	40 मि.मी.	50 मि.मी.
1.	सुरक्षा निधि	900	1500	2500	5000	10000
2.	सर्विस कनेक्शन चार्जस (फेरूल, (लोहे की मूंगरी) सेडल पीस, (नमदा) एवं लेबर आदि, कंसेशनायर को पुनः प्राप्त होने वाली	300	400	500	600	700
3.	कंसेशनायर को वापिस प्राप्त होने वाली मीटर की लागत (मीटर एवं लेबर) (रू.)	1200	1500	1900	4200	7000

नोटः–सर्विस कनेक्शन की राशि बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के मामले में उपरोक्त दर्शायी गई राशि से आधी रहेगी।

3	In the case of water supply to bulk consumers, such as co-operative society or Association of apartment owners, water meter of a suitable size shall be installed by the Concessionaire as directed by KMC.	3	थोक उपभोक्ताओं को, जैसे कि कॉआपरेटिव सोसायटी अथवा ऐसोसिएशन आफ अपार्टमेंट ओनर्स के मामले में जल प्रदाय हेतु कन्सेशनायर द्वारा नगर पालिक निगम, खण्डवा के निर्देशानुसार समुचित साईज का वाटर मीटर लगाया जायेगा।
4	In case of existing connection the metering shall be done in accordance with the metering and Connection Regularization Rules, Consumer shall apply with necessary meter security deposit to KMC and after receipt and scrutiny of such application KMC shall intimate Concessionaire to install meter at applicants premise. The Capital cost and labor cost for installation of Meters shall be borne by the concessionaire, which shall be reimbursed to the concessionaire as per above Table.	4	वर्तमान नल संयोजन का मीटरीकरण, मीटरींग एवं कनेक्शन नियमितीकरण नियमों के अनुसार होगा। उपभोक्ता मीटर सुरक्षा राशि नगर पालिक निगम में जमा करेगा रसीद प्राप्त करने के पश्चात् परीक्षण के बाद आवेदक नगर पालिक निगम एवं कन्सेशनायर को आवेदक के प्रेमिसेस में मीटर लगाने के लिये सूचित करेगा। मीटर स्थापित करने के लिए मीटर की केपिटल कास्ट एवं लेबर कास्ट कन्सेशनायर द्वारा वहन की जावेगी जो कि कन्सेशनायर को नगर पालिक निगम द्वारा प्रतिपूर्ति उपरोक्त टेबल के अनुसार की जावेगी।

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer
Municipal Corporation, Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa.

5	In case of illegal connection the regularization and metering shall be done in accordance with the Metering and Connection Regularization Rules provided in schedule 'W'. The illegal Consumer shall apply as per New Connection to KMC and connection and metering shall be done as provided there under. existing Illegal/ legal connenction as per water metering and connection rules.	5 शेड्यूल "डब्ल्यू" में दिये गयें मीटरिंग एवं कनेक्शन नियमितीकरण नियम के अनुसार अवैध नल संयोजन के प्रकरण में नियमितीकरण एवं मीटरिंग की प्रकिया की जावेगी। नगर निगम के नये कनेक्शनों के अनुसार ही अवैध कनेक्शनों के लिए आवेदन देना होगा और संयोजन एवं मीटरींग- मौजूदा वैध/अवैध कनेक्शन के संबंध में वॉटर मीटरिंग एवं कनेक्शन नियमितीकरण नियम के अनुसार की जावेगी।
	Key tasks to be performed by KMC	**नगर पालिक निगम, खण्डवा द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य।**
(i)	KMC after Notifying the Water Metering and Connections Regularization Rules (Rules) shall assist concessionaire and their staff to get the Connections Metered and illegal Connection Regularization and Metered. In it accepting of application for connection & execute agreement with applicant will be covered. All application and fees shall be deposited in the office of the municipal corporation alongwith the cost of meter and water connection.	(i) अधिसूचना जारी होने के पश्चात् से नगर पालिक निगम खण्डवा, कंसेशनायर को जल उपभोक्ताओं को मीटर एवं अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए सहायता करेगा। इसके अंतर्गत उपभोक्ता से आवेदन प्राप्त करना एवं अनुबंध निष्पादित करने की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी। सभी आवेदन एवं फीस की राशि नगर पालिक निगम कार्यालय में जमा की जावेगी। मीटर का मूल्य एव नल संयोजन की राशि नगर पालिक निगम में जमा होगी।
(ii)	KMC shall provide a copy of its list of consumer, billing address and details of security deposits and arrears due on them etc to the concessionaire.	(ii) नगर पालिक निगम खण्डवा, उपभोक्ताओं की सूची एवं उनका पता सुरक्षा राशि एवं बकाया राशि की जानकारी कंसेशनायर को उपलब्ध करायेगा।
(iii)	KMC shall provide supervisory support to the staff and labour of the Concessionaire in serving notices to Consumers for regularizing their water supply connections.	(iii) नगर पालिक निगम खण्डवा, नल संयोजन के नियमितिकरण के नोटिस देने के लिये, कन्सेशनायर एजेन्सी के स्टॉफ एवं लेबर का पर्यवेक्षीय सहयोग करेगा।
(iv)	KMC shall provide assistance to the staff and labour of the Concessionaire by settling disputes connected with Consumers not agreeing to install water meters.	(vi) नगर पालिक निगम खण्डवा कन्सेशनायर के स्टाफ एवं लेबर को, उपभोक्ता मीटर स्थापित करने में सहमत नहीं होने की स्थिति में विवाद निपटारा में सहयोग करेगा।
(v)	KMC shall transfer the amount (fixed Per Meter Charge as per Schedule I) due to the concessionaire for installing meters at consumer premises at the end of every Quarter on Requisition of Concessionaire stating the	(vii) नगर पालिक निगम खण्डवा प्रत्येक तिमाही के बाद मीटर की लागत एवं स्थापित करने का चार्ज (शेड्यूल–I के अनुसार निश्चित प्रति मीटर चार्ज) मीटर की संख्या के अनुसार कन्सेशनर को तिमाही में स्थापित मीटरों की संख्या बताने पर, स्थानांतरित

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer KMC/S Engineer Commissioner Municipal Corporation

	Number of Meters installed up to the end of the said quarter.	करेगा।
(vi)	KMC shall collect all the payment and collections from the Consumer collected by Concessionaire after "Appointed Date" towards water consumed (arrears) during the period prior to Commercial Operation Date.	(viii) नगर पालिक निगम खण्डवा कन्सेशनायर से नियुक्ति दिनांक से सी.ओ.डी. दिनांक तक की सभी राशि उपभोक्ताओं से संग्रहित करेगा।
	B) Key tasks to be performed by the Concessionaire :-	**ख) कन्सेशनायर द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य :-**
i	The concessionaire after 30 days from the date of Notifying of the Water Metering and Connections Regularization Rules (Rules) shall start to get the Connections Metered and Illegal Connection Regularization and Metered.	(i) अधिसूचना जारी दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् से "विश्वा यूटिलिटिज प्रा.लिमि. हैदराबाद" वैध कनेक्शनों में मीटर लगाने का कार्य एव अवैध कनेक्शनों को नियमित करने एवं मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ करेगा।
ii	Concessionaire shall provide staff and labour for serving notices to Consumers for regularizing their water supply connections.	(ii) कन्सेशनायर उपभोक्ताओं को जलप्रदाय संयोजन को नियमित करने के लिये नोटिस वितरित करने तथा उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाने के लिये लेबर एवं स्टॉफ लगायेगा।
iii	Concessionaire shall provide connection to consumer not agreeing to install water meter with the assistance of municipal corporation.	(iii) कन्सेशनायर, जो उपभोक्ता मीटर लगाने के लिये सहमत नहीं होगें, नगर पालिक निगम की मदद से आवश्यक कार्यवाही करेगा।
iv	Maintain records of consumer regularized, consumer metered, and arrears recovered.	(iv) कन्सेशनायर उपभोक्ताओं के किये गये नियमितिकरण, उपभोक्ताओं को मीटर लगाने एवं बकाया राशि वसूली का रिकार्ड रखेगा।
v	Concessionaire shall Transfer to KMC at the end of Every Quarter after the Notification, collection from the Consumer after "Appointed Date" towards water consumed (arrears) during the period prior to "Commercial Operation Date".	(v) प्रत्येक तिमाही के अंत में कन्सेशनायर, नगर पालिक निगम को नोटिफिकेशन बाद से (नियुक्त दिनांक से कमर्शियल ओपनिंग दिनांक तक) उपभोक्ता से प्राप्त बकाया राशि नगर पालिक निगम खण्डवा को ट्रांसफर करेगा।
vi	Concessionaire shall provide Bill to KMC for Payments due to Concessionaire, stating the Number of Meters installed up to the end of the quarter and collect the payment (fixed Per Meter Charge as per Schedule I) as per the bill for installing meters at consumer premises at the end of every Quarter.	(vi) प्रत्येक तिमाही के अंत में कन्सेशनायर नगर पालिक निगम को तिमाही के अंत तक लगाये गये मीटर की संख्या के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में लगाये गये मीटरों को लगाने का बिल प्रस्तुत करेगा।
vii	Concessionaire shall have 10% meters and other spares in his	(vii) कंसेशनायर स्टेण्ड बाय यूनिट के रूप में 10 प्रतिशत मीटर एवं

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer
Municipal Corporation Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa.

	stock as standby units.	अन्य स्पेयर सामग्री रखेंगे।
Joint obligations of the KMC & concessionaire regularisation of all legal/illegal water connections of all consumers.		**नगर पालिक निगम एवं कन्सेशनायर द्वारा संयुक्त रूप से किये जाने वाले कार्यः–**
(i)	All consumers up to the Commercial Date including installation of meters.	(i) 'कमर्शियल ओपनिंग दिनांक' तक नगर पालिक निगम के सभी नियमित उपभोक्ताओं के वैध/अवैध नल कनेक्शन नियमित किये जायेगें। परिसर में मीटर लगाये जावेगें।
(ii)	To ensure that meter installation and Development of WSS project go hand in hand such that quality of service to consumer is demonstrated to precipitate interest in Consumers for installing meters. In this regard the KMC and concessionaire shall mutually agree on operation strategies. (Clarification: The strategy may involve forming two demonstration zone by instaling maximum metered connections and the water supply a however not compromising on equity and more as a marketing strategy.	(ii) इस जल प्रदाय योजना का मीटर स्थापित एवं विकास का उपभोक्ताओं के हित में मीटर लगाने का कार्य साथ–साथ चलेंगे जिससे उपभोक्ताओं में मीटर लगवाने हेतु रूचि जागृत हो। उसकी कार्य प्रणाली के लिये के.एम.सी. तथा कन्सेशनायर परस्पर राजी होंगे। (स्पष्टीकरणः– इसके लिये दो डिमांस्ट्रेशन झोन, इसमें अधिकतम मीटर कनेक्शन लगाये जायेंगे परन्तु जलप्रदाय में कोई मात्रा अथवा गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा।
(iii)	On completion of transition period, concessionaire shall prepare a statement of arrears in connection with the payment made by Consumers for water consumed upto to COD, and Pay such amount to KMC.	(iii) ट्रांजिशन पीरीयड के पूर्ण होने पर, **COD** तक उपयोग किये गये जल की उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि का स्टेटमेंट तैयार कर कन्सेशनायर द्वारा नगर पालिक निगम खण्डवा को भुगतान किया जायेगा।
(iv)	In case of public stand posts and in slum areas the following shall be applicable:- All stand posts shall be disconnected from the COD. The affected persons shall be motivated for taking individual / group connections.Group connections shall be for apartment / tenants up to 10 households. One of the Consumers shall be chosen as the group leader who shall be responsible for payment for fixing meter consumption charges .The tap under group connection shall be single tap located outside the apartment/tenants at ground level in the premises of one of group members and shall be so located that it is accessible to	(iv) पब्लिक स्टेंड पोस्ट (सार्वजनिक स्थल) एवं झुग्गी झोपड़ियों के लिये निम्नांकित नियम लागू होंगे। सीओडी दिनांक से समस्त स्टेंड पोस्ट डिस्कनेक्ट होंगे। प्रभावित व्यक्तियों को व्यक्तिगत/समूह कनेक्शन लेने के लिये प्रेरित किया जावेगा। ग्रुप कनेक्शन 10 मकानों तक अपार्टमेंट / किरायेदारों के लिये दिया जावेगा। इनमें से एक उपभोक्ता का चयन ग्रुप लीडर के रूप में किया जावेगा और वह मीटर स्थापित करने एवं जल उपभोक्ता शुल्क भुगतान के लिये जवाबदार होगा। ग्रुप कनेक्शन के अंतर्गत सिंगल टेप रहेगा जो कि इन समूह सदस्यों में से किसी एक के स्थल पर ग्राउण्ड लेवल पर अपार्टमेंट/टेनेंट के बाहर स्थित होगा

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer   KMC'S Engineer Municipal Corporation   Commissioner Municipal Corporation

	English	हिन्दी
	everyone. The application for group connection shall be similar to the one under individual connection and shall include the plan showing apartments/tenants benefiting from it along with their name. The Group leader will be responsible for collecting all dues from group members and making payment to the concessionaire. If the group leader fails to pay for water consumption charges, then the connection is liable for disconnection as per the rules applicable for individual connection. In the event of such disconnection the consumers covered in the group shall not be eligible for new individual connections unless the arrears from the consumers covered in the earlier group are paid. However provission will be there to choose new group leader.	और यह इस प्रकार से स्थापित किया जायेगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति की उस तक पहुंच हो सकें। ग्रुप कनेक्शन का आवेदन व्यक्तिगत कनेक्शन के समान होगा, और उसमें लाभान्वित होने वाले अपार्टमेंट/किरायेदार के नाम दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न किया जावेगा। ग्रुप लीडर, समूह के सदस्यों से समस्त बकाया राशि एकत्र करने के लिये एवं कंसेशनायर को भुगतान करने के लिये जवाबदार होगा। यदि ग्रुप लीडर जल उपभोग शुल्क, का भुगतान करने में असफल रहता है तो व्यक्तिगत कनेक्शन पर लागू नियमों के अनुसार ऐसा कनेक्शन विच्छेद (डिस्कनेक्ट) कर दिया जावेगा। ऐसे विच्छेद करने की दशा में समूह में शामिल ऐसे उपभोक्तागण नये व्यक्तिगत कनेक्शन लेने के पात्र नहीं रहेंगे जब तक कि पूर्व के समूह में शामिल उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान न कर दिया गया हो। नया ग्रुप लीडर बनाया जाने की व्यवस्था भी रहेगी ।
	Connection to consumers	**उपभोक्ताओं को कनेक्शन**
1	**(i)** All services pipes and fittings from the connection on the water mains to any premises shall be laid by the consumer through a licensed plumber as per specification of the KMC and the drawings approved by Commissioner or officer authorized by him, which shall be submitted by the consumer along with the application. **(ii)** The connection pipe shall be laid in the ground and shall not be less than 45 cm below the surface unless laid inside a building. All pipes shall be laid or fixed in such a manner as not to be exposed to the heat and not to cause ant damage to any consumers pipes and fitting and there should be any risk of mixing waste water or cause contamination of water. All pipes there after laid or fixed inside any building shall be accessible to the staff of the concessionaire on duty. The material of the pipes and fitting shall be got approved from the concessionaire Representative before use. The water supply shall not be started unless the work of providing and laying of the same is approved by the concessionaire representative and is found to be watertight.	1.(i) सभी फिटिंग तथा सेवा पाइप जो नगर पालिक मुख्य पाइप से लगाये जावें, तथा आवेदक के परिसरों तक समस्त कार्य आयुक्त व उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गये ड्राइंग (जो कि आवेदन के साथ लगाये होंगे) के अनुसार तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त जलसंयोजक (प्लंबर) द्वारा कराये जायेंगे। (ii) संयोजन पाईप धरातल के नीचे 45 सेमी. से कम नहीं होगा, जब तक कि उसे भवन के अन्दर न रखा गया हो। समस्त पाईपों को इस रूप में रखा या फिक्स किया जायेगा ताकि उस पर गर्मी का असर न हो या उपभोक्ता के पाईप एवं फिटिंग को किसी प्रकार की क्षति न हो और मल जल (वेस्ट वाटर) मिलजाने का खतरा न हो अथवा पानी में प्रदूषण होने का खतरा न हो। इसके बाद सारे पाईप को किसी भी भवन के अन्दर इस प्रकार रखा जावेगा ताकि ड्यूटी पर मौजूद कंसेशनायर के कर्मचारियों की वहां तक पहुंच हो सकें। उपयोग के पूर्व कंसेशनायर के प्रतिनिधि द्वारा फिटिंग एवं पाईप की सामग्री को मान्य कराना होगा। जल प्रदाय तब तक प्रारंभ नहीं किया जायेगा जब तक कि कंसेशनायर के प्रतिनिधि द्वारा पाइप लाइन आदि के किये गये कार्य को मान्य न किया गया हो।

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer
Municipal Corporation, Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa.

2	All cocks and taps fitted to the service pipes in any premises be of a screw down pattern and of quality approved as per Byelaws/ rules of KMC.	2. किसी भी प्रेमिसेस में फिट किये गये सर्विस पाईप में लगे समस्त कॉक एवं टेप, स्क्रू डाउन पेटर्न अनुसार होंगे और वे के.एम.सी. के नियमों उपनियमों द्वारा व्यक्त गुणवत्ता अनुसार होगें।
3	No pipes and fitting of the connections shall be removed, altered, extended or replaced by the Consumer without obtaining the prior approval in writing from the concessionaire.	3. कंसेशनायर से पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना उपभोक्ता द्वारा कोई भी पाईप या कनेक्शन की कोई भी फिटिंग हटाई, परिवर्तित, या विस्तारित या बदली नहीं जावेगी।
4	No pipe used for the conveyance of water shall be laid or fixed which shall run througha any drain or any place where water througha such pipe is liable to become polluted or contaminated or where the pipe is likely to get damaged. However, in unavoidable cases such consumer's pipe may pass througha an exterior air tight and water tight pipe or jacket of cast iron or other material approved by the concessionaire of sufficient length and strength and of such construction as would provide adequate protection to the inner pipes, The cost of which is to be borne by consumer.	4. जल संयोजन हेतु उपयोग में लिया गया कोई भी पाईप इस रूप से रखा या फिक्स नहीं किया जायेगा जो कि किसी नाली के जरिए रखा हो या ऐसी जगह पर रखा हो जहां पर ऐसे पाईप के जरिए पानी प्रदूषित या खराब हो सकता हो या जहां पाईप क्षतिग्रस्त हो सकता हो। हालांकि अपरिहार्य मामलों में ऐसे उपभोक्ताओं के पाईप एक्सटीरियर एयर टाईट व वाटर टाईट पाईप अथवा कास्ट आयरन के जेकेट या कंसेशनायर द्वारा मान्य सामग्री का होकर समुचित लम्बाई व मजबूती का होना चाहिए और इस प्रकार के निर्माण से अन्दर के पाईप समुचित रूप से संरक्षित होना चाहिए। इसकी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जावेगी।
5	Every premises supplied with water shall have its own specific connection pipe and no connection pipe shall be used to supply water to more than one premises. Provided that in the case of a group or block of premises, Water charges of which are paid by one owner, the said owner may have option for one connection pipe of adequate size sufficient for such group or block as approved by the Concessionaire.	5. प्रत्येक स्थलों में विशेष कनेक्शन पाईप से जल प्रदाय किया जावेगा और एक से अधिक स्थलों में जल प्रदाय हेतु एक कनेक्शन पाईप का उपयोग नहीं किया जावेगा। बशर्ते कि स्थलों के खंड या समूह होने की दशा में इस प्रकार का जल शुल्क एक स्वामी द्वारा चुकाया जावेगा। उपरोक्त स्वामी को पर्याप्त साईज का एक कनेक्शन पाईप बाबद् विकल्प होगा जो कि इस प्रकार के समूह या ब्लॉक के लिये पर्याप्त होगा जो कि कंसेशनायर द्वारा मान्य हो।
6	The position of stop cock and meter on the connection pipe shall be decided by the concessionaire who shall have exclusive control over its operation.	6. कनेक्शन पाईप में स्टॉप कॉक एवं मीटर का स्थिति कंसेशनायर द्वारा सुनिश्चित की जावेगी जिसका इसके संचालन बाबद् एक मात्र नियंत्रण रहेगा।
7	For connection of sizes 25 mm and above, the stop cock will be fitted with a crutch of spindle head of specific design to suit a key or wheel kept by the concessionaire.	7. 25 एमएम या उससे ऊपर के साईज के कनेक्शन हेतु स्टॉप कॉक विशिष्ट डिजाईन के स्पिंडल हेड के क्रच के साथ फिट किया जावेगा जोकि कंसेशनायर द्वारा रखे गये व्हील या "की" के अनुकूल हो।
8	No consumer's tap shall be fixed outside, the premises of the consumer; No tap shall be fixed in closed proximity to the	8. किसी भी उपभोक्ता का टेप उपभोक्ता के स्थल के बाहर फिक्स नहीं किया जावेगा। खुली नालियों में अथवा ऐसे स्थलों जहां

Sub Engineer KMC'S Engineer Commissioner Municipal Corporation

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

	open drains or places where injurious gases are likely to be produced. No tap or cock or connection to any tank or reservoir shall be so fixed as allow any part of the container of the said tank or reservoir to siphon back into the connection pipes.	खतरनाक गैस उत्पन्न हो सकती हो, उसके नजदीक कोई भी टेप फिक्स नहीं किया जावेगा। किसी भी टैंक या जलाशय में कोई भी टेप या कॉक फिक्स नहीं किया जावेगा अथवा उक्त टैंक या जलाशय के कंटेनर के किसी भी हिस्से में कनेक्शन पाईप से साईफन बेक का कार्य नहीं किया जावेगा।
9	A consumer acting in contravention of the provisions of the Bye-laws, shall be required to rectify the defects at his own cost within one month of the date of the notice served on him by the concessionaire failing which the connection shall he liable to be disconnected without any further notice to the consumer.	9. जो उपभोक्ता उपनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा उसे कंसेशनायर द्वारा दिये गये नोटिस की दिनांक से एक माह के अंदर अपने खर्च से उस त्रुटि को दूर करना होगा और इसमें असफल रहने पर उपभोक्ता को बिना नोटिस दिये, कनेक्शन विच्छेद कर दिया जायेगा।
10	The leakages up to the stop cock or up to the meter without stop cock shall be removed by Concessionaire at his cost while the leakage beyond this point shall be removed by consumer at his cost. If consumer fails to remove the leakage beyond this point, the Concessionaire reserves the right to remove or rectify the defects or deficiencies at the cost of the consumer.	10. स्टॉप कॉक तक लीकेज या मीटर तक बिना स्टॉफ कॉक के लीकेज को कंसेशनायर द्वारा उसके खर्च से हटा दिया जायेगा। जबकि इस पाईन्ट के ऊपर लीकेज होने पर उपभोक्ता द्वारा अपने खर्च से इसे हटाया जावेगा। यदि इस पाईन्ट के ऊपर लीकेज को हटाने में उपभोक्ता असफल रहता है तो कंसेशनायर को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ता के खर्च से इन त्रुटियों को दूर कर सकेगा।
	C2 Road Cutting for New Connection	**C2 नये कनेक्शन हेतु रोड कटिंग**
	After the grant of connection the consumer or owner or group of consumers are required to obtain the permission for the cutting of the road from the Department of the Government or the local bodies concerned. He shall be liable to pay the prescribed charges to such authorization for cutting of the roads. Such permission shall be submitted to the concessionaire in writing before cutting up of the road and before jointing his connection pipe to the main.	उपभोक्ता को या उपभोक्ताओं के समूह को कनेक्शन की स्वीकृति के पश्चात् संबंधित स्थानीय निकाय या शासकीय विभाग से रोड कटिंग की अनुमति प्राप्त करेंगे। वह ऐसे अधिकारियों को रोड कटिंग बाबद् निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिये बाध्य रहेगा। इस प्रकार की अनुमति रोड कटिंग के पूर्व एवं मेन में कनेक्शन पाईप जोड़ने के तदानुसार कंसेशनायर को लिखित में प्रस्तुत की जावेगी।
	C3 charges for Unauthorized Uses of Water:	**C3 अनाधिकृत उपयोग बाबद् शुल्क**
	The water shall be used only for the purpose for which the connection is given. Any consumer found misusing water for purposes other than the purpose for which the connection is given, shall render himself liable to pay the charges at double the normal rate in respect of the quantity of water so misused.	जल का उपयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु कनेक्शन दिया गया है यदि कोई उपभोक्ता कनेक्शन में दिये गये उद्देश्य के अलावा अन्य उपयोग के अंतर्गत जल का दुरूपयोग करता हुआ पाया गया तो उसे तदानुसार जल के दुरूपयोग की गई मात्रा के सामान्य दर से दोगना शुल्क जमा करना होगा।

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer
Municipal Corporation, Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa.

	C4 Restriction on Pumping of water by a consumer to an overhead tank		**C4 ओवर हेड टेंक में उपभोक्ता द्वारा वाटर पंपिंग प्रतिबंध**
	a) The supply of water to be made under these conditions by the Concessionaire shall be at the pressure as available .No direct drawal of water from a connection to an overhead tank shall be allowed. The consumer or group of consumers or owner, as the case may be shall if they so desire, arrange at their **cost** for the construction of a sump, at the ground level to lift water to an overhead tank. All these arrangements shall be provided by the consumer, after obtaining water from the KMC's main at the ground level.	(i)	कंसेशनायर द्वारा इन दशाओं में जल की आपूर्ति उपलब्ध प्रेषर (दबाव) अनुसार की जावेगी। ओवर हेड टेंक में कनेक्षन से पम्पींग द्वारा जल की सीधे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति नहीं की जायेगी। उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं का समूह, स्वामी जैसा भी मामला हो यदि वे चाहें तो अपने खर्च से स्वयं निर्माण की व्यवस्था ग्राउंड लेवल पर कर सकते हैं ताकि ओवर हेड टेंक ऊंचा उठाया जा सकें। यह सारी व्यवस्थाऐं उपभोक्ता द्वारा नगर पालिक निगम, खण्डवा के मेन से ग्राउंड लेवल पर जल प्राप्त करने के पश्चात प्रदान की जावेगी।
	b) In no case any type direct pumping from the water main owned by the KMC or even by the consumer shall be allowed to be used.	(ii)	किसी भी दशा में नगर पालिक निगम, खण्डवा के स्वामित्व वाले वाटर मेन से डायरेक्ट पंपिंग नहीं होगी अथवा उपभोक्ता को भी ऐसे उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी।
	C5 Proper Disposal of Waste Water		**C5 वेस्ट वाटर (दूषित जल) का समुचित निराकरण**
	The consumer or owner or group of consumers shall make proper arrangement for the disposal of waste water after using water from his or their connection. The consumer or owner or group of consumers shall be bound to take such action as required under the relevant rules of KMC.		उपभोक्ता अथवा स्वामी या उपभोक्ताओं का समूह उसके कनेक्षन से जल का उपयोग करने के पश्चात दूषित जल के निराकरण की समुचित व्यवस्था करेंगे। उपभोक्ता या स्वामी या उपभोक्ताओं के समूह नगर पालिक निगम, खण्डवा के संबंधित नियमों के अंतर्गत यह कार्य करने के लिये बाध्य एवं बंधकारी है।
	C6 Installation of Meter:		**C6 मीटर इंस्टालेषन (स्थापना)**
1	The meter shall be installed within the premises and at the location shown in the drawings attached with the application by the consumer for sanction and the consumers shall be responsible for safety of the meter against pilferage or damage, misuse or mishandling. The consumer shall keep the meter and fittings in chamber and fitting in clean condition. If he fails to do so in spite of a notice from the concessionaire, within seven days, the concessionaire may get the meter, chamber and fitting clean at the cost and risk of the consumer.	1	उपभोक्ता द्वारा स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ संलग्न ड्राईंग में दर्शाई गई लोकेशन पर स्थल के अंतर्गत मीटर स्थापित किया जायेगा एवं उपभोक्ता मीटर की सुरक्षा, चोरी, क्षति, दुरूपयोग के लिये जिम्मेदार होगा। उपभोक्ता चेम्बर में मीटर व फिटिंग को स्वच्छ अवस्था में रखेगा। यदि कंसेशनायर द्वारा दिये गये नोटिस के बावजूद सात दिन में वह ऐसा करने में असफल रहता है तो कंसेशनायर उपभोक्ता के खर्च व जोखिम से मीटर, चेम्बर एवं फिटिंग स्वच्छ करेगा।
2	If the meter goes out of order the concessionaire shall replace the same either by a new one or by a meter repaired at the workshop of the concessionaire or the meter shall be got tested	2	यदि मीटर खराब हो जाता है तो कंसेशनायर इसे या तो नया मीटर अथवा कंसेशनायर के वर्कशाप में दुरूस्त मीटर से बदल देगा। अथवा उपभोक्ता द्वारा दिये गये नोटिस दिनांक के 15 दिन

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer

KMC'S Engineer
Municipal Corporation

Commissioner
Municipal Corporation

	at the workshop of the concessionaire within 15 days from the date of the notice given by the consumer.		के अन्दर वर्कशॉप में उस मीटर को टेस्ट कर देगा।
3	The Meter to be installed /replaced shall be in accordance with the standards and specification for Water Meters provided in this Schedule.	3	स्थापित किये जाने वाले/बदले जाने वाले मीटर इस शिड्यूल में दिये गये वाटर मीटर बाबद् मापदंड एवं विशिष्टताओं के अनुसार होंगे।
4	The meter should be installed in such a ways that always be full of water and partial flow shall not occur.	4	मीटर इस प्रकार से स्थापित किये जायेगें कि उसमे हमेशा पानी भरा रहे और उसमें पानी का आंशिक प्रवाह न हो।
	Specification and standards for Meter:– The water meter installed shall be of following standard:–		**मीटर के मापदंड एवं स्पेसिफिकेशन:– स्थापित किये जाने वाले मीटर का मापदंड निम्नानुसार रहेगा:–**
1	EEC (European Economic Community) Marked inferential multi-jet, straight reading dry dial water meters with magnetic drive of class B with………	1.	EEC (European Economic Community) Marked Inferential Multi – Jet, straight reading dry dial water meters with magnetic drive of class B with (यूरापियन एकॉनॉमिक कम्यूनिटी) मार्कड इनफेरेंशियल मल्टी–जेट, स्ट्रेट रिडिंग ड्राय डायल, वाटर, मीटर, विथ मेग्नेटिक ड्राईव ऑफ क्लाथ बी विथ।
	A) Non return valve	ए)	नॉन रिटर्न वाल्व
	B) Facility for retrofitting automatic meter reading interface through wireless modem	बी)	वायरलेस मॉडल के जरिए रिट्रोफिटिंग ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग इन्टरफेस सुविधा
2	The meter would need to confirm to the following standards:-	1.	मीटर बाबद निम्नाकिंत मापदंड पूरे करने होंगे।
	A) IS-779/94 and ISO-4064\	ए)	आईएस 779/94 एवं आईएसओ 4064.
3	Not more than two makes of meters shall be provided in the Project Area. The meter supplier shall be liable for setting up a workshop for meter repair at Khandwa.	2.	प्रोजेक्ट एरिया में दो से अधिक मेक्स नहीं लगायें जा सकेगें। मीटर सप्लायर्स को खण्डवा में मीटर रिपेयर का वर्कशॉप स्थापित करना होगा।
4	Adequate spares for the meter repairs would need to be kept available at all times with the concessionaire.	4.	सभी समय पर कंसेशनायर के पास में मीटर रिपेयर हेतु स्पेयर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिये।
5	Prior to the finalization of the make of the meter, the Concessionaire shall be required to get the meter tested by Fluid control Research Institute (FCRI)/CWPRS for type test and life test (accelerate endurance test) as per the requirements of IS-779/94. Random testing process shall be adopted by the KMC engineer for sample testing; the balance meters would need to be provided with test certificates from the manufacturer.	5.	मीटर के मेक्स (Makes) के फायनलायजेशन के पूर्व कंसेशनायर को मीटर टेस्टिंग हेतु फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एफसीआरआई)/सीडब्ल्यूपीआरएस से टाईप टेस्ट एवं लाईफ टेस्ट (एक्सेलेरेटेड इन्ड्यूरेंस टेस्ट) आईएस–779/94 की आवश्यकताओं के अनुरूप कराना होंगे। नगर पालिक निगम, खण्डवा इंजीनियर द्वारा सेंपल टेस्टिंग हेतु रेंडम टेस्टिंग प्रोसेस अपनाई जावेगी। बकाया (बैलेंस) मीटर, निर्माताओं से टेस्ट प्रमाण पत्र के साथ प्रदान करना होंगे।
6	Testing of meters after repairs has to be done for each such meter for its accuracy of metering by using a meter calibrated	6.	सीरीज में, रिपेयर के पश्चात मीटर टेस्टिंग मीटरिंग एक्यूरेसी हेतु

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.)

Sub Engineer
Municipal Corporation. Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa

	by FCRI/CWPRS in series; all testing facilities shall be set up at Khandwa itself.	एफसीआरआई / सीडब्ल्यूपीआरएस मीटर का उपयोग होगा।समस्त टेस्टिंग सुविधाऐं खंडवा में ही स्थापित की जावेगी।
.	**Action to be taken when Meter is out of Order:-**	**मीटर खराब हो जाने पर की जाने वाली कार्यवाही:–**
1	On receipt of the complaint from the consumer the representative of the Concessionaire should visit the connection site with all spares & tested meter and he shall remove the defective meter by replacing the same with the tested one.	1. उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त होने पर कंसेशनायर का प्रतिनिधि कनेक्शन साईट / स्थल पर समस्त स्पेयर एवं टेस्टेड मीटर के साथ जायेगा और वह वहां से डिफेक्टिव मीटर निकाल कर उसके बदले टेस्ट किया हुआ मीटर लगा देगा।
2	During routine inspection or at the time of scheduled meter reading program, if any of the representative of Concessionaire or of KMC Representative finds faulty meter the procedure as above 1 be followed.	2. शड्यूल्ड मीटर रीडिंग प्रोग्राम के समय अथवा रूटीन निरीक्षण के दौरान यदि कंसेशनायर का कोई प्रतिनिधि या नगर पालिक निगम, खण्डवा का प्रतिनिधि यदि फाल्टीमीटर (गलत मीटर) पाता है तो उपरोक्त चरण क्र.1 की पद्धति का अनुसरण होगा।
3	The defective meter shall be replaced at the earliest and in any case within one month.	3. डिफेक्टिव मीटर को अतिशीघ्र बदला जावेगा और किसी भी मामले में एक माह के अन्दर बदलना होगा।
4	Complaint regarding abnormal/ subnormal reading shall be treated as defective meter & shall be replaced as above.	4. असाधारण / सबनार्मल रीडिंग के बाबद् शिकायत को, डिफेक्टिव मीटर के रूप में लिया जावेगा और उसे उपरोक्तानुसार बदला जावेगा।
5	If on examination , any meter is found to be out of order , the quality of water consumed during the period commencing from the date of last reading to the date on which the meter is repaired and fixed or new meter is installed shall be reckoned at the maximum of the quantities worked out in the following manner namely a) On the actual consumption recorded by the meter if the same is found , on testing to register up to and including five percent , slow or fast; b) On the average of the actual reading for the immediately preceding or succeeding two months period.	5. यदि परीक्षण करने पर मीटर खराब निकलता है, पिछली रीडिंग से प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान यदि जल उपभोग की मात्रा गत रीडिंग के दिनांक से जब मीटर दुरूस्त कर फिक्स किया गया अथवा नया मीटर लगाया गया तब तक की गणना पर अधिकतम मात्रा निम्नानुसार की जावेगी :– ए) मीटर द्वारा रिकार्डेड वास्तविक उपभोग यदि टेस्टिंग पर पाया जाये जिसमें कि 5 प्रतिषत तक स्लो या फास्ट शामिल है; बी) रीडिंग तुरंत ही पिछले या अगले दो माह की अवधि के वास्तविक रीडिंग के औसत पर।
6	A meter shall be deemed to be out of order under the following circumstances, namely a) If it is found on test to be registering either more than five percent, fast or more than five percent, slow; b) If it is found on inspection to have been damaged or tampered with;	6. निम्नांकित परिस्थितियों में मीटर खराब माना जावेगा। ए) यदि टेस्टिंग करने पर वह 5 प्रतिषत से अधिक फास्ट या स्लो पाया जाये। बी) यदि निरीक्षण के दौरान इसे क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ किया गया पाया

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer

KMC'S Engineer

Commissioner
Municipal Corporation

c) If it is failed to resister consumption of water drawn through it;

d) When there is apparent error in reading of the consumption by the meter.

C9 Testing of Meter

1 The Concessionaire shall establish a workshop for repairing and testing of meters and keep adequate stock of spares parts. If, at any time after the installation of the meter, the consumer desires that the meter fixed to his connection should be tested, he shall submit an application in writing to the Concessionaire and pay the prescribed testing fees provided in the table below in advance. After testing the meter at the workshop of the concessionaire .if it found to be run fast by more than 5 percent; the deposit or testing fees shall be returned to the consumer and the water bills shall be the revised on the basis of the consumption recorded by the repaired meter with from the date on which a written complaint was filed by the Consumer & excess adjustment from the next bills water bill or the credit will be recorded in the name of the consumer in respect of adjustment from the next bill. If the meter found to be fast or slow with in five percent limit, the testing fees shall be forfeited.

Fees for testing of water meter

NO.	Connection size in mm	Testing and installation fees
1	15	50
2	20	75
3	25	100
4	40	125
5	50	150

जाये।

सी) यदि उसमें से निकले पानी के उपभोग को रजिस्टर करना फेल हो जाये।

डी) यदि मीटर में पानी की खपत की रीडिंग में कोई प्रत्यक्ष त्रुटि हो।

C9 मीटर की टेस्टिंग (परीक्षण)

1. मीटर की रिपेयरिंग व टेस्टिंग के लिये कंसेशनायर एक वर्कशॉप स्थापित करेगा एवं स्पेयर पार्ट्स का पर्याप्त स्टॉक रखेगा। यदि मीटर स्थापना पश्चात् किसी भी समय उपभोक्ता यह चाहे कि उसके कनेक्शन में फिक्स मीटर को टेस्ट किया जाये तो वह लिखित में कंसेशनायर को एक आवेदन देगा और एडवांस में निर्धारित टेस्टिंग फीस जमा करेगा जो कि निम्नांकित टेबल (तालिका) में दी गई है। कंसेशनायर के वर्कशॉप पर मीटर टेस्टिंग के पश्चात यदि यह पाया जाये कि वह 5 प्रतिशत से अधिक फास्ट है तो उपभोक्ता को डिपॉजिट राशि या टेस्टिंग फीस वापस कर दी जावेगी एवं दुरूस्त किये हुए मीटर से उस दिनांक से जब उपभोक्ता द्वारा लिखित शिकायत दी गई तब से रेकार्ड किये गये उपभोग (कंजमशन) के आधार पर वाटर बिल रिवाइज्ड (संशोधित) किये जायेंगे और अगले बिल के एडजस्टमेंट बाबद उपभोक्ता के नाम से एक्सेस वाटर बिल अथवा क्रेडिट को रिकार्ड किया जायेगा किन्तु यदि मीटर 5 प्रतिशत की लीमिट में फास्ट या स्लो पाया जाता है तो टेस्टिंग फीस जप्त की जावेगी।

वाटर मीटर टेस्टिंग की फीस

क्र.	कनेक्शन की साईज एमएम में	टेस्टिंग एवं स्थापना फीस
1.	15	50
2.	20	75
3.	25	100
4.	40	125
5.	50	150

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer
Municipal Corporation Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa.

	Note:- The Fees for testing of water meters shall be revised at the rate of 5% after every three years.	**नोट** :–वाटर मीटर टेस्टिंग की फीस प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात 5 प्रतिशत परिवर्तित (रिवाईज्ड) की जावेगी।
2	If the Concessionaire has reason to believe that the meter is running slow, Concessionaire get the meter tested through the workshop of Concessionaire. Concessionaire reserves the right to carryout repairs at the cost of consumer if the meter has been tampered by the consumer.	2. यदि कंसेशनायर को यह विश्वास करने का कारण है कि मीटर स्लो चल रहा है तो कंसेशनायर उसके वर्कशॉप के जरिये मीटर टेस्ट करावेगा। कंसेशनायर उपभोक्ता के खर्च से रिपेयरिंग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उस मीटर में उपभोक्ता द्वारा हेराफेरी (टेम्परिंग) की गई हो।
3	The Concessionaire shall get every meter serviced at his workshop after every three years at his own cost.	3. कंसेशनायर अपने खर्च से प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात उसके वर्कशॉप में प्रत्येक मीटर की सर्विसिंग करेगा।
	C10 Damage and Pilferage of meter:	**C10 क्षतिग्रस्त एवं चोरी का मीटर में चोरी आदि–**
	Where a meter is found during inspection to be in damaged condition, the consumer shall be liable to pay the following charges, namely	जहाँ पर मीटर निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया जाता है तो उपभोक्ता निम्नांकित शुल्क देने के लिये बाध्य है, जैसे –
	a) If the seal is found removed or broken or the meter is partially damaged, an amount of Rs.500/- shall be charged as penalty and resealing fees to a retail consumers and Rs. 1000/- to bulk consumer in addition to the repairing charges assessed by the Concessionaire.	अ) यदि यह पाया जाये कि सील निकाल ली गई है या तोड़ दी गई है या आंशिक रूप से मीटर क्षतिग्रस्त हो गया है तो रिटेल उपभोक्ता को रिसीलिंग फीस एवं जुर्माने बाबद रूपये 500 एवं बल्क (थोक) उपभोक्ता के मामले में कंसेशनायर द्वारा मूल्यांकित रिपेयरिंग चार्ज के अलावा रूपये 1000 का शुल्क लगेगा।
	b) If the meter becomes unserviceable due to willful damage, full cost of the meter as per the table for Cost of meter shall be recovered from the consumer in addition to the penalty and resealing fees as specified in point (a) above.	ब) यदि जानबूझ कर क्षति करने के कारण मीटर काम के अयोग्य (अनसर्विसेबल) हो जाता है तो मीटर की लागत के टेबल (तालिका) अनुसार मीटर की पूरी कीमत एवं पाईन्ट अ) में निर्दिष्ट रीसिलिंग फीस तथा जुर्माने के साथ वसूली की जावेगी।
	c) In case of the theft of the water meter, action will be taken under the points (b) above, in addition to any other action prescribed in rules in force.	स) यदि वाटर मीटर की चोरी हो जाये तो उपरोक्त पाईन्ट ब) के अनुसार कार्यवाही की जावेगी जो कि प्रचलित निर्धारित नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त होगी।
	D Billing of water Tariff -	**द) वाटर टेरिफ की बिलींग–**
	(i) Initial water tariff shall be applicable 30 days after notification and from the date of COD. Water supply shall be metered and billed for the water used per month per kiloliter at rates given below:-	(i) अधिसूचना जारी दिनांक से 30 दिवस के पश्चात् (COD) के दिनांक से प्रारंभिक जल दरें लागू हो जावेगी। मीटर पद्धति से जलप्रदाय होगा। प्रति माह उपयोग किये जल की मात्रा (किलोलीटर) के लिये निर्धारित निम्नांकित दरों पर आधारित बिल प्रतिमाह प्रेषित किया जावेगा :–

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer   KMC'S Engineer   Commissioner Municipal Corporation

(ii) Maximum chargeable Water Tariff :—

S. NO.	MONTHLY WATER CONSUMPTION	DOMESTIC CONNECTION		COMMERCIAL CONNECTION	INDUSTRIAL CONNECTION	INSTITUTION CONNECTION
1	**UP TO 20 KL/MONTH**	**UP TO 20 KL/MONTH**	**RS11.95 / KL**	**RS 23.90 / KL**	**RS 35.85/ KL**	**RS17.92/ KL**
2	**FROM 20 T0 30 KL/MONTH**	**UP TO 20 KL/MONTH**	**RS11.95 / KL**	**RS 23.90 / KL**	**RS 35.85/KL**	**RS 17.92/KL**
		FROM 20 T0 30 KL/MONTH	**RS 16.95 /KL**	**RS 33.90/KL**	**RS 50.85/KL**	**RS 25.42/KL**
3	**ABOVE 30 KL/MONTH**	**UP TO 20 KL/MONTH**	**RS11.95 /KL**	**RS 23.90/KL**	**RS 35.85/KL**	**RS 17.92/KL**
		FROM 20 T0 30 KL/MONTH	**RS 16.95 /KL**	**RS 33.90/KL**	**RS 50.85/KL**	**RS25.42/KL**
		ABOVE 30 KL/MONTH	**RS 21.95 /KL**	**RS 43.90/KL**	**RS 65.85/KL**	**RS 32.92/KL**
4	**MINIMUM MONTHLY WATER TARIFF IN CASE OF NO CONSUMPTION OR LOWER CONSUMPTION**		**RS 60.00 /MONTH**	**RS 120.00 /MONTH**	**RS 180.00 /MONTH**	**RS 90.00 /MONTH**

NOTE;-
(1) THE BPL CONSUMERS APPROVED BY KMC SHALL BE CHARGED AT THE HALF RATE (50%).
(2) MINIMUM MONTHLY WATER TARIFF FOR BPL CONSUMER IN

(ii) निर्धारित जल दर की तालिका :—

क्र.	पानी की मासिक खपत	प्रारंभिक मूल्य –पानी की दर	X = 11.95 रू प्रति कि.लिटर			
		घरेलू कनेक्षन		व्यापारिक कनेक्षन	औद्योगिक कनेक्षन	संस्थागत कनेक्षन
1	प्रतिमाह 20 किलोलीटर तक	प्रतिमाह 20 किलोलीटर तक	11.95 रू. प्रति कि.लि.	23.90 रू. प्रति कि.लि.	35.85 रू. प्रति कि.लि.	17.92 रू. प्रति कि.लि.
2	प्रतिमाह 20 किलोलीटर से 30 किलोलीटर तक	प्रतिमाह 20 कि.ली तक	11.95 रू. प्रति कि.लि.	23.90 रू. प्रति कि.लि.	35.85 रू. प्रति कि.लि.	17.92 रू. प्रति कि.लि.
		प्रतिमाह 20 कि.ली से 30 कि.ली. तक	16.95 रू. प्रति कि.लि.	33.90 रू. प्रति कि.लि.	50.85 रू. प्रति कि.लि.	25.42 रू. प्रति कि.लि.
3	प्रतिमाह 30 किलोलीटर से ऊपर	प्रतिमाह 20 कि.ली तक	11.95 रू. प्रति कि.लि.	23.90 रू. प्रति कि.लि.	35.85 रू. प्रति कि.लि.	17.92 रू. प्रति कि.लि.
		प्रतिमाह 20 कि.ली से 30 कि.ली. तक	16.95 रू. प्रति कि.लि.	33.90 रू. प्रति कि.लि.	50.85 रू. प्रति कि.लि.	25.42 रू. प्रति कि.लि.
		30 कि.ली. अधिक	21.95 रू. प्रति कि.लि.	43.90 रू. प्रति कि.लि.	65.85 रू. प्रति कि.लि.	32.92 रू. प्रति कि.लि.
4	प्रतिमाह बिना खपत अथवा न्यूनतम खपत होने की न्यूनतम जल दर	रू. 60.00		रू.120.00	रू.180.00	रू. 90.00

नोट :—
1) नगर पालिक निगम, खण्डवा द्वारा मान्य बीपीएल उपभोक्तागण के लिये उपरोक्त दरें आधी होंगी (पचास प्रतिशत)।

Sub Engineer
Municipal Corporation Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation

Commissioner
Municipal Corporation

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

	CASE OF NO CONSUMPTION OR LOWER CONSUMPTION THAN MIMIMUM WATER TARIFF PER MONTH IS- RS 30.00/MONTH (3) MINIMUM MONTHLY WATER TARIFF FOR BULK CONSUMERS IN CASE OF NO CONSUMPTION OR LOWER CONSUMPTION THAN MINIMUM WATER TARIFF PER MONTH IS –RS 500/MONTH	2) बी.पी.एल. परिवारों के लिए प्रतिमाह बिना खपत अथवा न्यूनतम खपत होने की न्यूनतम जल दर रू. 30.00 होगी। 3) बल्क सप्लाई की स्थिति में उपभोक्ता को प्रतिमाह बिना खपत एवं न्यूनतम खपत होने की स्थिति में यह दर रूपये 500 प्रतिमाह होगी।
iii)	The concessionaire shall issue the Water Supply Bills to the Consumers within 10 (ten) days of recording the meter reading. These bills would have a maximum payment period of 30 (Thirty) Days. The Water Supply Bill shall display the last date of payment and the delayed payment interest up to 1% (One Percent) per month on the principal amount outstanding from the Consumers. The Concessionaire is not allowed to charge delayed payment charge (interest) over delayed payment charge.	(ii) कन्सेशनायर मीटर रिकार्डिंग के 10 दिन के अंदर बिल जारी करेगा। इस भुगतान की अधिकतम मियाद 30 दिन रहेगी। विलम्ब होने पर रू.1 प्रतिशत प्रतिमाह बकाया राशि का उपभोक्ता के द्वारा विलम्ब शुल्क कन्सेशनायर द्वारा लिया जावेगा। विलम्ब शुल्क पर विलम्ब शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।
iv)	The Concessionaire is authorized to disconnect water supply connection of any Consumer delaying payment fo water supply bill beyond 2 (two) months from the due date of the payment of bills subject to the following disconnection procedure adopted by the Concessionaire.	(iii) कन्सेशनायर को नल विच्छेद के अधिकार प्राप्त हैं। यदि उपभोक्ता जल प्रदाय बिल दो माह के अंदर भुगतान नहीं करता है तो कन्सेशनायर नल विच्छेद के लिये नगर पालिक निगम से स्वीकृत विधि द्वारा अधिकृत होगा।
v)	The Concessionaire shall reconnect the water supply connection after receiving the payment due as per the Water Supply Bill, payment of arrears and reconnection charges by the Consumers.	(iv) पुनः संयोजन (Re-connection) राशि एवं बकाया (Arrears) राशि व वाटर बिल राशि जमा करने के पश्चात कंसेशनायर द्वारा पुनः संयोजन (Re-connection) किया जावेगा।
vi)	In respect to Tri-annual revision Concessionaire would determine and submit, on the 1st April of 3rd (Third) Year, to the PRC the revised Price-Water Tariff for the following Years calculated based on the formulae provided in **Schedule K** of this agreement and duly certified by the Independent Auditor.	(vi) प्रत्येक तीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जलकर की दरों में वृद्धि, (पुनर्निधारण) अनुबंध में दी गई शर्तो के अनुसार मूल्य "पुनः निर्धारित समिति (Price Review Commitee)" एवं स्वतंत्र ऑडिटर की देखरेख में की जावेगी। इस हेतु अनुबंध के Schedule K (Amended) अंतर्गत दिये गये फॉमूले के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer
Municipal Corporation, Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa.

	English	हिन्दी
vii)	In addition, the water tariff shall be reviewed / revised in the event of any increase / decrease in electricity charges, own sources of electricity and revision in water charges by the NVDA.	(vii)इसके अलावा जल की दरें विद्युत एनर्जी चार्जेस, स्वयं का विद्युत स्त्रोत एवं एन.वी.डी.ए. की दरों के अनुसार कम अथवा ज्यादा होंगी।

APPLICATION FOR WATER SUPPLY CONNECTION (Subject to revision in accordance with KMC Rules and Regulation	नल कनेक्शन के लिए आवेदन फार्म (नगर पालिक निगम खण्डवा के नियम एवं रेगूलेशन के साथ एवं विषय
Form issued To: Case no. Date:	फार्म जारी किया : केस नं. दिनांक
Last date of submission of form:	फार्म जमा करने का दिनांक
The Executive Engineer	कार्यपालन यंत्री
Municipal Corporation Khandwa	नगर पालिक निगम खण्डवा
Sir, Kindly grant me _______dia water supply connection Name : _______________F/H_______________ Plot No.:_______________ House No:_______________ Street No_______________ Ward No:_______________ In Town: Khandwa Category. : (APL/BPL)_______________	महोदय/महोदया निवेदन है कि, कृपया मुझे.................. मिलीमीटर व्यास का कनेक्शन प्रदान करने का कष्ट करें। नाम ,:...............................पिता/पति का नाम .... प्लाट क्रमांक...................... मकान नं. .... स्ट्रीट नाम ....वार्ड नं. .... शहर – खण्डवा वर्ग :– (सामान्य / बी.पी.एल.) ....
[The connection is required for Domestic, institutional,commercial and industrial, (Classification of use)]_______________ 1. For this purpose I agree to pay the required charges as below :–	(नल कनेक्शन किस लिए चाहिए घरेलू, संस्थागत्, व्यावसायिक एवं औद्योगिक स्पष्ट कीजिए): .... 1. नल कनेक्शन के लिये नीचे दिए गए दर अनुसार राशि जमा करने के लिये सहमत हूँ :–
• Initial security deposit for Domestic, institutional, commercial and industrial, use Rs.__________	• घरेलू, संस्थागत्, व्यावसायिक एवं औद्योगिक, उपयोग के लिए प्रारंभिक सुरक्षा राशि रू....................
• Meter Security deposit for Domestic, institutional, commercial and industrial, use Rs.__________	• घरेलू, संस्थागत्, व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपयोग के लिए मीटर की जमाराशि रू....................
• Drilling and tapping charges to water supply mains pipelines Rs.__________	• नल कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन के बीच ड्रिलिंग तथा टेपिंग चार्ज की राशि रू....................

Sub Engineer
Municipal Corporation Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation

Commissioner
Municipal Corporation

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

	• Additional deposit (If consumer is a tenant) Rs.______	• अन्य जमा (यदि अपभोक्ता किरायेदार है) रू..............
	• Ferule, saddle piece & labour etc., Rs.______	• (फेरूल, सेडल पीस एव लेबर आदि) रू..............
	• Other charges Rs.______	• अन्य चार्ज रू..............
	• Total Rs.______	• कुल योग रू..............
	2. I am aware of water supply bye-laws and shall abide by them, as modified from time to time I agree to pay old dues/fees as prevailing rates.	2. मैं पानी आपूर्ति के कानून/नियमों को जानता हूँ तथा उनका पालन करूगाँ और समय–समय पर संशोधित राशि के अनुसार बकाया राशि जमा करूंगा।
	3. I am the rightful owner / authorized tenant of the premises for which connection is asked for which following attested documents are enclosed.	3. मैं उपरोक्त परिसर जिसके लिये कनेक्शन चाहा गया है का मकान मालिक हूँ/अधिकृत किरायेदार हूँ। जिसके लिए निम्नलिखित प्रमाणित दस्तावेज संलग्न किये गए है:–
	1) Sale Deed/Sanad/ 2) Death Certificate if applicable. 3) Plan in quadruplicate 4) N.O.C. of owner in case applicant is tenant (Rs 100/- stamp paper)	1) बिकी दस्तावेज/सनद 2) मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि आवश्यकता हो तो। 3) चार प्रति में नक्शा (प्लान) 4) मालिक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (रू.100/–का स्टाम्प पत्र) (यदि आवेदक किरायेदार हो तो)
	I here by declare that:	**मैं यह घोषणा करता हूँ कि,.....**
A)	I am responsible for correctness and authenticity of the documents produced by me.	क) मेरे द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हैं उनकी सत्यता के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।
B)	I shall carry out connection work through the agency of ______ who is licensed plumber on departmental main shall be taken only through the authorized person of the department.	ख) मैं एजेन्सी/प्लम्बर .... से नल संयोजन कराउंगा जो कि नगर पालिक निगम के विभाग से लाईसेंस प्राप्त हो।
C)	I shall obtain connection after securing road cutting permission from concerned local body and I shall construct permanent gutter for disposing waste water.	ग) मैं संबंधित विभाग से रोड कटिंग की अनुमति लेने के बाद ही नल कनेक्शन करवाऊगाँ। और गंदे पानी के निकास लिए स्थायी नाली बनवाऊगाँ।
D)	I am aware that I am responsible for keeping meter in working condition to the satisfaction of the KMC/Concessionaire. In case meter is faulty in opinion of the KMC/Concessionaire. I undertake to replace the same within a month of the date of receipt of a bill stating so or a written notice to that effect.	घ) मैं सहमत हूँ कि नगर पालिक निगम द्वारा लगाये जाने वाले मीटर को सुरक्षित अवस्था में रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी। यदि मीटर खराब होता हैं तो मैं नगर पालिका निगम को अवगत करवाऊगाँ। मैं जानता हूँ कि बिल की प्राप्ति दिनांक एवं लिखित सूचना के एक महीने में मीटर बदलवा दूँगा।

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

KMC'S Engineer

Commissioner
Municipal Corporation

E)	**I understand that my failure to replace the out of order meter duly tested from Concessionaire meter shop shall make my connection liable for disconnection. Removing and re-fixing of the meter shall be done under intimation and supervision of the KMC/Concessionaire Staff.** **Your's Faithfully**	ड) मैं यह समझता हूँ कि कंसेशनायर की मीटर शॉप में जांच होने पर मीटर खराब होने की स्थिति में मेरे द्वारा मीटर बदलने में असफल होने पर कन्सेशनायर मेरे नल संयोजन का विच्छेदन कर देगा/ मीटर का निकालना एवं पुनः लगाना, नगर पालिक निगम / कन्सेशनायर स्टॉफ को सूचना देकर किया जावेगा।
	(signature of the applicant) **Date:**________ **Name:**________ **Address:**________	(आवेदक के हस्ताक्षर) दिनांक .... नाम .... पता ....
	Applicant has signed in my presence. **Witness** **Name**________ **Signature**________ **Name**________ **Signature**________ **Signature of plumber**________ **Date**________ **Licence No.**________	आवेदक ने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है। गवाह नाम .... हस्ताक्षर .... नाम .... हस्ताक्षर .... प्लम्बर के हस्ताक्षर.......... दिनांक. / / लाईसेंस नं.

Agreement to be entered in to by KMC and Consume (subject to revision in accordance with KMC rules and Regulation)	नगर पालिक निगम खण्डवा एवं उपभोक्ता के मध्य अनुबंध (नगर पालिक निगम के नियम एवं विनियमन के अनुसार संशोधन किये जाने योग्य)
This agreement for getting water supply connection from Khandwa water supply scheme entered in to this day________of________between Shri________ Residing at________ In Khandwa town herein after called as consumer as a first party and Executive Engineer, Municipal Corporation Khnadwa on behalf of KMC which is statutory under	खण्डवा जलप्रदाय योजना के अंतर्गत इस अनुबंध के द्वारा इस दिनांक .... से (नाम) श्री .... के मध्य जलप्रदाय कनेक्शन लेने हेतु यह अनुबंध है। श्री/श्रीमती.......... पता .... खण्डवा शहर इस अनुबंध में उपभोक्ता प्रथम पक्ष तथा नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा नियुक्त कार्यपालन यंत्री द्वितीय पक्ष कहलाएगें।

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer
Municipal Corporation, Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa.

	taking of and having its office at Khandwa here in after called as Municipal Corporation Khndwa as the second party.	
	I here by entering into agreement as I agree with the following terms and conditions of this agreement.	मैंने अनुबंध पढ लिया है और मैं इसमें दी गई निम्नलिखित नियम एवं शर्तो से मैं सहमत हूँ :–
1.	I / we here by agree rules in as a consumer the rules in force (Dejure) of Khandwa Municipal Corporation which will be implemented by the Khandwa Municipal Corporation /concessionaire / person authorized by Khandwa Municipal Corporation.	1. नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा अधिकृत, नगर पालिक निगम खण्डवा /कन्सेशनायर/ अधिकृत व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता के लिए प्रभावी नियम एवं शर्ते लागू होगी उनके लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं।
2.	I / we here by agree to pay the water bills as per the water tariff as and when fixed by Khandwa Municipal Corporation.	2. नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा निर्धारित दर सूची जो भी पानी का भुगतान निर्धारित किया जावेगा उसके हिसाब से मैं/हम बिल का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
3.	Any dues on account of water bills if pending with me for a period of 2 month or more than the deposits Khandwa Municipal Corporation has right to disconnect my connection without prior intimation and I will be solely responsible for this disconnection.	3. यदि मेरे खाते में पिछला बकाया रहता है और मैं उसका दो महीने तक भुगतान नहीं कर पाया तो नगर पालिक निगम के पास बिना कोई पूर्व सूचना के मेरा कनेक्शन विच्छेद करने का अधिकार रहेगा और इसके लिए मैं/हम जिम्मेदार रहूँगा/रहेंगे।
4.	I / we here by agree that Khandwa Municipal Corporation /concessionaire is empowered to impose revenue recovery through District Collector Khandwa by informing my office for deduction through my pay and salaries and or by attachment of my movable or immovable property against the pending water bills.	4. मैं/हम इस बात से सहमति देते हैं, कि नगर पालिक निगम खण्डवा, कन्सेशनायर जो कि अधिकृत राजस्व वसूली के लिए कलेक्टर खण्डवा से अधिकृत हैं, मेरे वेतन आदि से काट लें या मेरी चल/अचल संपत्ति को बकाया जल बिलों की राशि के विरूद्ध संबद्ध/ संलग्न (attached) कर लें।
5.	I /we here by agree that in case the water is used for the purpose other than the purpose for which the connection is given, I will pay double the amount as per water tariff fixed for the purpose of water used or disconnection of my connection by Khandwa Municipal Corporation /concessionaire.	5. मैं/हम इस बात से सहमति देते हैं, कि मेरे द्वारा जिस उपयोग के लिए कनेक्शन लिया गया है उसी में उपयोग करूगा यदि किसी अन्य तरीके से उपयोग करता पाया जाता हूँ तो भुगतान सारणी के अनुसार मुझे दोगुना बिल देना पड़ेगा एवं नगर पालिक निगम खण्डवा या कन्सेशनायर द्वारा मेरा कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाएगा।
6.	I / we here by agree to pay water bills meter rents if any other due payment and DPC within 30 days from the date of receipt of water bills if not paid 1%interest per month as	6. मैं/हम इस बात से सहमति देते हैं, कि यदि कोई पिछला बकाया है, तो मैं जल मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल का भुगतान करूगॉ यदि मेरे द्वारा बिल प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर बिल का

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer KMC'S Engineer Commissioner Municipal Corporation

	DPC will be paid by me, Water bills will be rounded to Rupee one.	भुगतान नहीं किया जाता है, तो रू.1 प्रतिशत के अनुसार प्रत्येक महीने का ब्याज मेरे द्वारा दिया जावेगा।
7.	**I / we her by guarantee that (a) It will be my sole responsibility as a Consumer for maintenance and repairs of service pipeline laid of MDPE pipes or G.I. pipes from the ferule fixed for the connection on Khandwa Municipal Corporation pipeline (b).The service pipeline will not be laid through any drain or gutter (c) In unavoidable situation if the service pipeline is laid through drains or gutter it will be covered by an exterior airtight and watertight pipe or jacket or GI pipe equivalent to double the diameter of connection pipe and I will be solely responsible if the connection is contaminated by the water from the gutter drain (d)I am aware that leakage on service line if not rectified by me within time Khandwa Municipal Corporation / concessionaire has right to disconnect my connection without any prior intimation.**	7. मैं/हम इस बात से जवाबदारी लेते हैं, कि (क) सर्विस पाईप लाईन जो नगर पालिक निगम द्वारा बिछाई गई हैं, एम.डी.पी.ई. या जी.आई. पाईप लाईन से फेरूल लगाकर कनेक्शन करूवाउंगा एवं उसकी देखभाल एवं मरम्मत की पूरी जवाबदारी मेरी रहेगी। (ख) सर्विस पाईप लाईन कोई भी गटर या नाली में नहीं बिछाई जावेगी। (ग)यदि नाली या गटर में से पाईप लाईन बिछायी जावेगी तो ऐसी स्थिति में उस पाईप के व्यास से डबल व्यास पाईप का कवर चढाया जावेगा। यदि नाली के माध्यम से कनेक्शन में दूषित जल आता है तो इसकी जवाबदारी मेरी रहेगी। (घ) मैं जानता हूँ कि यदि सर्विस लाईन से रिसाव होता है और मेरे द्वारा सुधारा नहीं गया तो नगर पालिक निगम खण्डवा या कन्सेशनायर बिना कोई पूर्व सूचना के मेरे नल कनेक्शन का विच्छेद कर सकते हैं।
8.	**I / we hereby agree that the pipes used for services connection has average life 15 years for that reason it is the responsibility of consumer to get the connection pipe replaced after every 15 years and I guarantee for that.**	8. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि, पाईप लाईन का औसत जीवन 15 वर्ष का होता है । 15 वर्ष के बाद इसको बदलने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की रहेगी।
9.	**I / we hereby agree that there is no any dues against water supply bills on the property or part their of. If at all any dues if found in future, I will be solely responsible for payment of such full dues.**	9. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि, मेरी किसी भी प्रकार की संम्पत्ति पर भविष्य में जलप्रदाय का बिल बकाया पाया जाता है, तो उसका भुगतान करने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।
10.	**The sole liability /responsibility lies with me if at all any road of MC or PWD need to be cut /open/ dug for laying of services pipeline and I will be liable to obtain permission for such excavation and to pay the prescribed charges for restoring them to their original condition.**	10. मेरी सर्विस पाईप लाईन कनेक्शन के लिए नगर पालिक निगम या पी.डब्ल्यू.डी विभाग से काटने/खोलने/खोदने की अनुमति मुझे लेनी होगी, और नगर पालिक निगम या पी.डब्ल्यू.डी विभाग की कुछ भी हानि होती है तो उसका खुदाई एवं पूर्व स्थिति में लाने के लिए निर्धारित शुल्क से भुगतान का जिम्मेदार मैं स्वयं रहूँगा।
11.	**I am ready to pay the deposits for water connection as prescribed by Khandwa Municipal Corporation.**	11. नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा निर्धारित जल संयोजन की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ।
12.	**I / we hereby guarantee that if any connection is disconnected due to violation of any rules in Khandwa**	12. मैं/हम सहमत हूँ कि, नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा बनाये

Sub Engineer
Municipal Corporation, Khandwa

KMC'S Engineer
Municipal Corporation

Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa

	Municipal Corporation bye laws, I will pay the bill for the entire month at the rate worked out on the average of bills of past three month.	नियमों में से यदि मैं किसी भी नियम का उलंधन करने के कारण तो मेरा नल कनेक्शन विच्छेद कर दिया जाता है, तो मेरे द्वारा पूरे महीने का बिल का भुगतान पिछले तीन महीने के बिल के औसत के अनुसार किया जावेगा।
13.	I / we hereby agree to pay the charges for disconnection / re connection as prescribed by Khandwa Municipal Corporation or concessionaire.	13. मैं/हम नगर पालिक निगम खण्डवा एवं कन्सेशनायर द्वारा विच्छेदन या पुनः कनेक्शन का निर्धारित शुल्क भुगतान करने की सहमति देता/देते है।
14.	If water meters are not available with Khandwa Municipal Corporation / Concessionaire, I will purchase at my cost water meter from the manufactures approved by Khandwa Municipal Corporation and it will be my responsibility to maintain the water meter in good condition.	14. यदि जलप्रदाय का मीटर नगर पालिक निगम खण्डवा एवं कन्सेशनायर के पास उपलब्ध नहीं हैं, तो मैं नगर पालिक निगम द्वारा **अधिकृत निर्माता** से खरीदूंगॉ। मीटर को अच्छी स्थिति मे रखने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी।
15.	It will be my sole responsibility as a consumer to protect and to keep the water meter in working condition, if Khandwa Municipal Corporation / concessionaire finds the seal of water meter damaged / intentionally closed, I agree that water supply to my property will be disconnected by Khandwa Municipal Corporation. Further I agree that it is mandatory on my part to pay the cost of repair of water meter.	15. मीटर को अच्छी/चलायमान स्थिति मे रखने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की रहेगी। यदि नगर पालिक निगम खण्डवा या कन्सेशनायर को जल मीटर की सील क्षतिग्रत या जानबूझ कर मीटर बंद पाया जाता हैं तो मैं सहमत हूँ, कि नगर पालिक निगम खण्डवा द्वारा इसे विच्छेद किया जायेगा तथा पानी के मीटर की मरम्मत के लागत का भुगतान मेरे द्वारा किया जावेगा।
16.	I / we herby agree as a consumer that if the water meter is found closed for more than 3 months period I will pay the water bills maximum of the average or flat rate as per Khandwa Municipal Corporation rules.	16. मैं/हम उपभोक्ता के रूप में सहमत हैं कि, यदि मीटर 3(तीन) महीने से अधिक बन्द पाया जाता है तो मुझे नगर पालिक निगम के नियमों के अनुसार अधिकतम औसत या फ्लैट-रेट का अधिकतम बिल का भुगतान करना होगा।
17.	I will fix metallic meter box or construct chamber in brick work for protection of water meter at my own cost.	17. मीटर सुरक्षा के लिए धातु या ईट के कक्ष का निर्माण स्वयं की लागत से बनवाऊगॉ।
18.	I agree to pay under this agreement the expenditure incurred by them through one time of connection	18. मैं अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत उनके द्वारा किये गये व्यय की राशि एकमुश्त जमा करूंगा।
19.	I/ we hereby agree that Khandwa Municipal Corporation / Concessionaire are empowered to inspect the water meter at any time.	19. मैं/हम नगर पालिक निगम खण्डवा या कन्सेशनायर के द्वारा किसी भी समय पर किये गये निरीक्षण के अधिकार से मैं सहमत हूँ।
20.	If any complaint /objection arises about bills, I /we hereby agree to pay the full amount of the bill immediately. I agree that the amount due after the redressal of complaint will be	20. बिल के संबंध में कोई शिकायत या आपत्ति होने पर मैं/हम सबसे पहले बिल की पूरी राशि जमा करेगें। मैं इससे सहमत हूँ कि शिकायत निवारण के बाद यह राशि आगामी बिलों में

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★

Sub Engineer   KMCS Engineer Municipal Corporation   Commissioner Municipal Corporation

	adjusted in the next bill.	समायोजित की जावेगी।
21.	**I will not draw water directly from the connection by deploying electric motor pump, I agree that if found so Khandwa Municipal Corporation / concessionaire reserves the right to take action like attach the electric motor / to impose penal action to disconnect the water connection, So also I will be fully responsible for damage to motor due to deployment of electric motor and payment of charges towards repair or replacement of meter.**	21. मैं विद्युत कनेक्शन से मोटर पम्प के द्वारा सीधे पानी नहीं लूंगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि नगर पालिक निगम खण्डवा एवं कन्सेशनायर को यह अधिकार होगा कि यदि विद्युत मोटर लगी पाई जाती है तो नल विच्छेद कर सकते है। विद्युत मोटर लगाये जाने से यदि मीटर खराब होता है तो इसके लिये मैं जवाबदार रहूँगा एवं मीटर बदलने या मरम्मत की राशि का भुगतान करूंगॉ।
22.	**I will not make any alteration or modification in my connection without prior permission of Khandwa Municipal Corporation / Concessionaire. If found so, Khandwa Municipal Corporation / Concessionaire reserves the right to disconnect my connection.**	22. नगर पालिक निगम खण्डवा/कन्सेशनायर की सहमति के बिना मैं नल कनेक्शन बदलाव या संशोधन नहीं करूँगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो नगर पालिक निगम/कन्सेशनायर को मेरा नल कनेक्शन को विच्छेद करने का अधिकार रहेगा।
23.	**If on examination by Khandwa Municipal Corporation / concessionaire any meter is found to be out of order due to any reason the quantity of water consumed during the period commencing from the date of last reading to the date of which the meter is replaced and fixed or a new meter is installed shall be reckoned at the max of the quantities worked put in the following manner namely.**	23. यदि परीक्षण के दौरान किसी कारण से मीटर खराब पाया जाता है । पानी की खपत की मात्रा गत रीडिंग की दिनांक से प्रारंभ होकर मीटर बदलने की दिनांक तक अथवा नया मीटर स्थापित करने तक गण्ना करके, निम्नलिखित तरीके से अधिकतम मात्रा की गणना की जावेगी:—
23.1	**On the actual consumption recorded by the meter if the same is found on testing to register up to and including five percent slow or fast.**	23.1 5 प्रतिशत धीमा या तेज हो तो वास्तविक खपत पर;
23.2	**On average of the actual reading for the immediately preceding or succeeding three months period;**	23.2 गत या आगामी तीन माह की रिडिंग के औसत पर;
23.3	**On Discharging capacity of the connection considering its size length hours of supply etc. but not exceeding twice the max monthly consumption recorded during previous twelve months.**	23.3 सप्लाई के समय के अवधि को कंसीडर करतें हुए कनेक्शन की साइज़ व समयानुसार डिसचार्जिंग क्षमता के आधार पर, किन्तु पिछले बारह महीनों के दौरान की गई खपत आधार पर अधिकतम खपत से दोगुना ना हो ।

E-Mail – Narmadajalknw@yahoo.com

Sub engineer 19.11.12
Municipal Corporation Khandwa
Sub Engineer
Municipal Corporation, Khandwa

KMC Engineer
Municipal Corporation Khandwa
KMC'S Engineer
Municipal Corporation
Khandwa

Commissioner
Municipal Corporation Khandwa
Commissioner
Municipal Corporation
Khandwa

Municipal Corporation ★ Khandwa (M.P.) ★